न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 04/24 दायरा दिनांक 04.07.2024

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–कंचनलाल पुत्र श्रीलाल उम्र 37 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2–किरण पत्नि कंचनलाल उम्र 39 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थन

प्रार्थीगण

बनाम

1–आलमचन्द पुत्र प्रेमचन्द उम्र 40 वर्ष जाति लुहार (खाती) निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2–ओमप्रकाश पुत्र प्रेमचन्द उम्र 38 वर्ष जाति लुहार (खाती) निवासी ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

3–इन्दिराबाई पुत्री प्रेमचन्द उम्र 35 वर्ष जाति लुहार (खाती) निवासी ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

4–मांगीबाई पत्नि स्व.प्रेमचन्द उम्र 65 वर्ष जाति लुहार (खाती) निवासी ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

5–शान्ती पुत्री भैरूलाल पति सीताराम उम्र 63 वर्ष जाति लुहार (खाती) निवासी ग्राम बांसखेडामाल हाल निवासी सिरसोद खुर्द तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

<u>निर्णय दिनांक – 19.06.2025</u>

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री सोनू मेहता एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बांसखेडामाल पटवार हल्का गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां में आराजी ख0नं0 235 रकबा 4.05 बीघा में से प्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2008 को रकबा 3.00 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसका दखल प्रार्थीगण को 10.04.2008 को दिया गया था। उक्त आवंटन को श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्व अपील माननीय राजस्व मण्डल राजसथान अजमेर में जैरकार है, जिसमें यथास्थिति के आदेश प्राप्त हैं। प्रार्थीगण का कब्जा ख0नं0 235 पर जिसकी पूर्व दिशा में सरहद ग्राम बालापुरा स्थित है, पश्चिम दिशा में ख0नं0 234 स्थित है, उत्तर दिशा में ख0नं0 235/2 स्थित है तथा दक्षिण में ख0नं0 235/548 स्थित है [illegible] 1 लगायत 5 द्वारा पटवारी के सहयोग से नक्शे में छेडखानी करते हुए [illegible] ख0नं0 235 के मध्य से लाइन खींचकर तरमीम कर दी गई है तथा उक्त तरमीम ख0नं0 235/548 में बढ़ा दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:07 IST
Reason: SelfAttested

19.06.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

गया है, जिससे नक्शे में ख0नं0 235 व 235/548 की स्थिति बदल गई है जो गलत व मौके के विपरीत है, जबकि मौके पर उक्त वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत प्रार्थी को दखल दिया गया है। उक्त तरमीम मौका देखे बिना मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत प्रार्थीगण को सुने बिना की गई है जो गलत होने से दुरूस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ख0नं0 235 को पूर्व दिशा में सरहद ग्राम बालापुरा स्थित है, पश्चिम दिशा में ख0नं0 234, उत्तर दिशा में ख0नं0 235/2 तथा दक्षिण में ख0नं0 235/548 के उत्तर मेड के बराबर से सही तरमीम किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीकम 1 ता 5 की ओर से जरिये वकील अण्डरटेकिंग उपस्थिति दी गई, परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2579/16 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 6.4.16 की प्रति पेश की।

प्रार्थीगण को आराजी ख0नं0 235 में 3.00 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 10.01.2008 को किया जाकर दिनांक 10.04.2008 को दखल दिया जाना प्रमाणित है, जो दखलनामा की पुस्त पर अंकित नक्शा अनुसार एन.एच. के लगवां दखल दिया गया है। प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण का आवंटन निरस्त हो चुका है, जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने श्रीमान भूप्रबन्ध अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.09.15 को स्थगित करते हुये राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हैं तथा प्रार्थीगण को अतिक्रमी मान कर तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही हेतु कहा गया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थीगण की स्थिति आराजी ख0नं0 235 पर महज एक अतिक्रमी से अधिक कुछ नहीं है और प्रार्थीगण आवंटन बहाली का आदेश पेश करने में भी असमर्थ रहे हैं इस कारण प्रार्थीगण कोई अनुतोष पाने के हकदार नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

19.06.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:07 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner